

एमकेएसपी एवं सीएमएमए ग्रामों के चयन हेतु मापदण्ड

1. दोनो योजनांतर्गत ऐसे ग्राम का चयन करे जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सघन रूप से क्रियान्वयन हो रहा हो।
2. ऐसे ग्राम जिसमें अन्य योजना का सघन रूप से क्रियान्वयन हो रहा हो जैसे— सांसद आदर्श ग्राम याजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, रूबन मिशन इत्यादि को प्राथमिकता के रूप में लिया जा सकता है।
3. ग्राम में सिंचाई के संसाधन की उपलब्धता हो।
4. ग्राम संगठन का गठन हो चुका हो या प्रक्रियाधीन हो।
5. ग्राम में संबंधित योजना हेतु कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों की सविधाएँ हो।
6. प्रत्येक ग्राम 100 महिला किसानों का चयन हेतु उपलब्ध हो।
7. Poverty Free ग्राम पंचायत को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जावेगा।

एमकेएसपी एवं सीएमएमए ग्रामों में महिला किसानों का चयन हेतु मापदण्ड

1. महिला किसान किसी भी स्व-सहायता समूह से जुड़ी हो।
2. महिला किसान के पास कम से कम आधा एकड़ जमीन/खेती योग्य भूमि हो एवं पशुपालको को प्राथमिकता दिया जावेगा।
3. महिला किसान कृषि कार्य करने वाली/इच्छुक हो।
4. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े महिलाओं को प्राथमिकता दिया जावेगा।
5. सीमान्त एवं लघु कृषक हो।
6. प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु ग्राम से बाहर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर जानकारी प्रदाय कर सके एवं परिवार की सहमति हो।